

दिनांक

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।

ऑर्डर शीट

सरकार बनाम राजीव कुमार वर्मा:

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 467/14 (1/10/14)

04.11.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्तगण राजीव कुमार रजना, पिछले बार जमानत अनुपस्थित जिनकी आज की हाजिरी याचिका प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ जो सुना जाकर आज हेतु स्वीकार किया जाता है, शामिल पत्रावली पर।

अन्य अभियुक्त महेंद्र की जमानत याचिका जिसका जारीसुदा गिरफ्तारी वारंट अदम लौटकर प्राप्त हुआ है, और ना इस संबंध में पुलिस आयुक्त जाधपुर महानगर को पूर्व में जारीसुदा गिरफ्तारी वारंट का जवाब देते हुए डी/ओ लेटर का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है अतः उक्त डी/ओ लेटर पुनः जारी किया जावे जिसमें यह नोट अंकित किया जावे कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त महेंद्र को जरिए गिरफ्तारी वारंट से कई बार तलब किया जा चुका है लेकिन अभियुक्त के वारंट लौटकर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और ना ही तामील सुनिश्चित की जा रही है। अतः इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया जाकर वारंट की तामील सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें व इसकी सूचना इस न्यायालय को भी करें।

अभियुक्त महेंद्र को जरिए गिरफ्तारी वारंट से पुनः तलब किया जावे वारंट की तामील पर लाल रखाड़ी से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण पुराना है तथा वर्ष 2013 से लंबित होने के साथ ही न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है अतः वारंट की तामील असातन विशेष वाहक कि नियुक्ति द्वारा कराई जावे। गिरफ्तारी वारंट अदम तामील की सूची में तामील जुगुदा अभियुक्त की बल अवल संपाते सूची के साथ साक्ष्य-मफरूरी हेतु हाजिर अदालत आवें।

पत्रावली वारंते हाजिरी मुल्जिम के दिनांक 01.12.2025 को पेश करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला